मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, गंगापुर सिटी (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः अखिलेश कल्याण, जिला न्यायाधीश संवर्ग

1. क्लेम याचिका संख्या 106/2016
सी.आई.एस. नंबर 121/2016
सी.एन.आर. नंबर. RJSM070010142016

1. केशन्ती उर्फ संतरा पत्नी स्व. रूपसिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सैंगरपुरा तहसील करौली जिला करौली। –प्रार्थीया

बनाम

1 चिरंजी लाल गुर्जर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।
–(वाहन चालक ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

2. राजेश कुमार पुत्र गिर्राज निवासी कुनकटा कलां, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।
– (पंजीकृत वाहन स्वामी ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

3. इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कं. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी, मैन एयरपोर्ट ऑफिस के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राजस्थान)
– (बीमा कंपनी वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

अप्रार्थीगण

2. क्लेम याचिका संख्या 107/2016
सी.आई.एस. नंबर 122/2016
सी.एन.आर. नंबर RJSM070010152016

1. संजय उर्फ संदीप पुत्र हुकम गुर्जर, उम्र 9 वर्ष निवासी ग्राम सैंगरपुरा तहसील करौली जिला करौली, जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता हुकम गुर्जर पुत्र जयलाल निवासी सैंगरपुरा तहसील करौली जिला करौली। –प्रार्थी

बनाम

1 चिरंजी लाल गुर्जर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।
–(वाहन चालक ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

2. राजेश कुमार पुत्र गिर्राज निवासी कुनकटा कलां, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।
– (पंजीकृत वाहन स्वामी ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

3. इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कं. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी, मैन एयरपोर्ट ऑफिस के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राजस्थान)

– (बीमा कंपनी वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

अप्रार्थीगण

3. क्लेम याचिका संख्या 124/2016
सी.आई.एस. नंबर 140/2016
सी.एन.आर. नंबर RJSM070011962016

1. बसंता पुत्र हजारी गुर्जर, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1 चिरंजी लाल गुर्जर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।

–(वाहन चालक ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

2. राजेश कुमार पुत्र गिर्राज निवासी कुनकटा कलां, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

– (पंजीकृत वाहन स्वामी ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

3. इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कं. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी, मैन एयरपोर्ट ऑफिस के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राजस्थान)

– (बीमा कंपनी वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

अप्रार्थीगण

4. क्लेम याचिका संख्या 02/2017
सी.आई.एस. नंबर 02/2017
सी.एन.आर. नंबर RJSM070000072017

1. श्रीमती मुकेशी पत्नी विजयसिंह, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीया

बनाम

1 चिरंजी लाल गुर्जर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।

–(वाहन चालक ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

2. राजेश कुमार पुत्र गिर्राज निवासी कुनकटा कलां, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

– (पंजीकृत वाहन स्वामी ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

3. इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कं. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी, मैन एयरपोर्ट ऑफिस के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राजस्थान)

– (बीमा कंपनी वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

अप्रार्थीगण

5. क्लेम याचिका संख्या 20/2017
सी.आई.एस. नंबर 20/2017
सी.एन.आर. नंबर RJSM070002482017

1. इन्दर राज पुत्र मीठालाल, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम किशन की झोंपडी, पुलिस थाना सदर गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1 चिरंजी लाल गुर्जर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम कुनकटा खुर्द, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।

–(वाहन चालक ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

2. राजेश कुमार पुत्र गिर्राज निवासी कुनकटा कलां, पोस्ट अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

– (पंजीकृत वाहन स्वामी ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

3. इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कं. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी, मैन एयरपोर्ट ऑफिस के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राजस्थान)

– (बीमा कंपनी वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 25 आर.बी.2965)

अप्रार्थीगण

<u>क्षतिपूर्ति याचिका अंतर्गत धारा 166 व 140 मोटर यान अधिनियम</u>

उपस्थिति,

1. श्री के.के. उपाध्याय, अधिवक्ता सभी प्रार्थीगण केशन्ती, संजय उर्फ संदीप, बसंता, मुकेशी, इन्दर राज की ओर से,

2. श्री सीताराम गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या–1 व 2

7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं.3

निर्णय **दिनांक 27.03.2026**

01. प्रार्थीगण द्वारा दुर्घटना में अपने परिजन के आहत होने के कारण एवं स्वयं के आहत होने के कारण प्रतिकर के लिये ये याचिकाएं इस अधिकरण के समक्ष पृथक–पृथक पेश की गई, जो एक ही घटना से संबंधित होने के कारण इनको समेकित कर एक साथ विचारण किया गया है तथा एक ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

02. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पांचों क्लेम याचिकाओं के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.06.2016 को दिन के 11 बजे मुस्तगीस व काफी संख्या में अन्य व्यक्ति गांव बूचोलाई ढाय में यज्ञ में जा रहे थे। टॉवर के सामने वाला रोड गूलर वाली तलाई के पास हार गांव बूचोलाई में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा वाहन ट्रैक्टर संख्या आर.जे.25 आर.बी. 2965

जिसमें ट्रोली लगी हुई थी को तेज लापरवाही व असावधानी से चलाकर उक्त वाहन को पलट दिया, जिसके कारण प्रार्थीगण केशन्ती, संजय उर्फ संदीप, बसंता, श्रीमती मुकेशी व इन्द्रर राज के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना बाबत् इस्तगासा आहत बसन्ता ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.02 गंगापुरसिटी में पेश किया, जिसे धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. में वास्ते दर्ज होने पुलिस थाना सदर गंगापुरसिटी भेजा गया, जिस पर पुलिस थाना सदर गंगापुरसिटी में एफआईआर नंबर 115/2016 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0 दं0 सं0 में दर्ज हुई। जिसमें पुलिस ने बाद अन्वेषण अप्रार्थी सं.1 को उक्त दुर्घटना का दोषी मानकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं .02 गंगापुरसिटी के यहां अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0 दं0 सं0 के तहत आरोप पत्र पेश किया है।

03. प्रार्थीया/आहता केशन्ती की ओर से घटना के समय आयु 40 वर्ष होकर उसका गृहणी, कृषक व डेयरी व्यवसाय से पन्द्रह हजार रूपये मासिक की आय होने का कथन करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 96,15,000/–रूपये अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।

04. प्रार्थी/आहत संजय उर्फ संदीप के जरिये संरक्षक पिता हुकम गुर्जर की ओर से घटना के समय उसके पुत्र संजय उर्फ संदीप की घटना के समय आयु 09 वर्ष का विद्यार्थी होने का कथन करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 1,45,65,000/–रूपये अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।,

05. प्रार्थी बसंन्ता पुत्र हजारी की ओर से घटना के समय आहत की आयु 50 साल होकर उसका कृषि कार्य एवं मजदूरी से पन्द्रह हजार रूपये मासिक आय होने का कथन करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 55,90,000/–रूपये अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।

06. प्रार्थीया/आहत श्रीमती मुकेशी पत्नी विजयसिंह की ओर से घटना के समय उसकी 31 साल की आयु होकर कृषि कार्य, डेयरी एवं गृहकार्य से दस हजार रूपये माहवार कमाने का कथन करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 59,68,000/–रूपये अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।

07. प्रार्थी/आहत इन्दर राज की ओर से घटना के समय 30 वर्ष का होकर कृषि एवं डेयरी व्यवसाय से प्रतिमाह करीब बीस हजार रूपये आय होने का कथन करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 87,45,000/–रूपये अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहे गये हैं।

08. अप्रार्थी क्रम–1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि जवाबदारान के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है, उक्त वाहन को दुर्घटना में गलत रूप से लिप्त किया गया है, अप्रार्थी संख्या 2 अपने ट्रैक्टर को कृषि कार्य के उपयोग में लेता है तथाकथित दिवस को विपक्षी संख्या 1 ट्रैक्टर को लेकर कृषि कार्य हेतु विपक्षी संख्या 2 के खेत पर जा रहा था। अप्रार्थी सं.1 के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस रहा है, वक्त घटना वाहन अप्रार्थी सं.3 के यहां बीमित होने से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए दायित्वाधीन है।

09. अप्रार्थी सं.3 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर में कथन किया है कि उक्त वाहन नंबर आर.जे. 25 आर.बी. 2965 मय ट्रोली से हुई दुर्घटना की कहानी को बदलते हुए विपक्षी वाहन को गलत रूप से दुर्घटना में लिप्तकरते हुए 01 माह 04 दिन पश्चात प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है। वक्त दुर्घटना वाहन कृषि कार्य के उपयोग के स्थान पर उक्त वाहन में सवारी बैठा कर यज्ञ देखने के काम में उपयोग लिया जा जा रहा था, जो कि स्पष्ट रूप से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। उक्त वाहन का कृषि उपयोग के रूप में ही ट्रैक्टर का बीमा प्रीमियम लिया है। सवारी के संबंध में किसी प्रकार की कोई प्रीमियम राशि वसूल नहीं की गई है। अप्रार्थी सं.1 के पास बरवक्त दुर्घटना वाहन को चलाने हेतु वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञा–पत्र नहीं था। दुर्घटना में आहतगण की स्वयं की लापरवाही व उपेक्षा का परिणाम थी। अतः क्लेम बीमा कंपनी के विरूद्ध खारिज किया जाये।

10. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित समेकित विवाद्यक कायम किये गयेः–

1 आया दिनांक 14.06.2016 को दिन के 11 बजे के लगभग टॉवर के सामने वाला रोड, हार गांव बूचोलाई पी.एस. सदर गंगापुरसिटी के क्षैत्राधिकार में अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व के वाहन नंबर आर.जे.25 आर.बी. 2965 को उसके नियोजन व निर्देशन में तेज रफतार व लापरवाही से चलाया जिसके परिणामस्वरूप ट्रैक्टर व ट्रोली पलट गये, जिसके कारण प्रार्थीगणव अन्य काफी लोग दब गये जिससे प्रार्थीगण आहतगण के गंभीर चोटें आई?

2 आया प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किस अप्रार्थी से व कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

3 आया विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा जवाब याचिका में उठाई गई आपत्ति व विशेष विवरण के अनुसार क्लेम याचिका विपक्षी बीमा कंपनी के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है?

4 अनुतोष.

11. प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में ए.ड.1 केशन्ती, ए.ड.2 संजय उर्फ संदीप, ए.ड.3 बसन्ता, ए.ड.4 मुकेशी व ए.ड.5 इन्दर राज को परीक्षित कराया गया व दस्तावेज प्र.1 लगायत प्र.84 प्रदर्शित कराये, जबकि अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से गवाह एन.ए.ड.1 प्रदीप को परीक्षित कराया तथा दस्तावेज प्रदर्श एन.ए 1 लगायत एन.ए.11 को प्रदर्शित करवाया।

12. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह तर्क किए हैं कि दिनांक 14.06.2016 को विपक्षी सं.1 ने वाहन ट्रैक्टर नंबर आर.जे.25 आर.बी. 2965 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उक्त वाहन को पलट कर दुर्घटना कारित की, जिससे दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण प्रार्थीगण केशन्ती,संजय उर्फ संदीप, बसन्ता, श्रीमती मुकेशी व इन्दर राज के गंभीर चोटें आई, जिनके निःशक्त्ता प्रमाणपत्र भी पेश किये गये हैं। जिसमें अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश हुआ है, जिसके संबंध में प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है, जिससे अप्रार्थी संख्या–2 के स्वामित्व के वाहन को अप्रार्थी सं.1 के द्वारा चलाकर दुर्घटना कारित करना प्रमाणित है। प्रार्थीगण केशन्ती,संजय उर्फ संदीप, बसन्ता, श्रीमती मुकेशी व इन्दर राज कुशल कर्मकार थे एवं डेयरी व्यवसाय व कृषि मजदूरी का कार्य इत्यादि का कार्य करते थे, जो प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य से प्रमाणित किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण के क्लेम

आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें अप्रार्थीगण से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने की प्रार्थना की गई एवं अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए–

1– 2025(4) DNJ (SC) 1224 Suhagrani & Ors. Vs Manager Cholamandalam Ms. General Insurance

2– 2025(4) DNJ (SC) 1221 Sharad Singh Thro' LR' Vs H D Narang & Anr.

3– 2025(4) DNJ(SC) 1211 Mohammed Masood Vs New India Assurance Co Ltd & Anr.

4–2025(3) DNJ (SC) 1079 Kavin Vs P Sreemani Devi & Ors

5–2025(3) DNJ (Raj) 872 Kumari Neelam Vs Jai Prakash Natani & Ors.

6– 2025(3) DNJ (Raj.) 1240 HDFG Ergo General Insurance Company Ltd. Vs Pawan Kumar & Ors.

7–2025(4) DNJ (SC) 1185 Manjula & Ors. Vs Branch Manager Oriental Insurance Company Ltd.

8– 2021(4) DNJ (SC) 1114 National Insurance Company Ltd. Vs Chamundeswari & Ors.

9– 2023(2) TAC 92 (Raj) IFFCO TOKIO General Insurance Co. Ltd. Vs Vishnu Bgagor & Ors.

13. अप्रार्थी सं.1 व 2 के अधिवक्ता की ओर से बहस में तर्क किए गए हैं कि विपक्षीगण के वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटिन नहीं हुई है इस प्रकरण में उनके वाहन को गलत रूप से लिप्त किया गया है तथाकथित दिनांक को विपक्षी संख्या 1 उक्त वाहन को कृषि कार्य हेतु विपक्षी संख्या 2 के खेत पर जा रहा था। उक्त वाहन अप्रार्थी सं.3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था, यदि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो वाहन दुर्घटना के समय बीमित होने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु दायित्वाधीन है।

14. विपक्षी सं.3 बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत लिखित बहस में तर्क किए हैं कि पुलिस थाना सदर गंगापुरसिटी में तथाकथित दुर्घटना कहानी को बदला गया है। आहतगण ने याचिकाओं में यज्ञ देखने पैदल पैदल जाना कथित किया है, जबकि उक्त आहतगण एक ही परिवार के सदस्य होकर ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर यज्ञ देखने जा रहे थे। गवाह ए.ड.1 केशन्ती, ए.ड.2 संदीप, ए.ड.3 बसन्ता, ए.ड.4 मुकेशी व ए.ड.5 इन्दरराज ने अपने कथनों में सभी आहतगण का आपस में रिश्तेदार होना तथा ट्रेक्टर चालक, वाहन स्वामी को भी रिश्तेदार होना स्वीकार किया है। सभी आहतगण लगभग नौ–दस दिन बाद ही हॉस्पीटल से डिस्चार्ज हो गये थे, परंतु उसके बाद ही एफ.आई.आर दर्ज नहीं कराते हुए

विपक्षी वाहन को गलत रूप से लिप्त करते हुए 01 माह 04 दिन पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत गवाह एन.ए.ड.1 प्रदीप पाठक के द्वारा प्रकरण के अनुसंधानाधिकारी के द्वारा आहतगण के बयान प्रदर्श एन.ए1 लगायत एन.ए.9 प्रस्तुत किये हैं, जिसमें कि आहतगण के द्वारा अपने बयान धारा 161 सीआरपीसी के कथनों में उनका ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर यज्ञ देखने जाने के कथन किये गये हैं तथा अनुसंधानाधिकारी के फौजदारी प्रकरण में हुए बयान प्रदर्श एन.ए.11 में अनुसंधानाधिकारी द्वारा उनके बयान कथनानुसार लेखबद्ध किया जाना कथित किया है। बीमा कंपनी द्वारा विपक्षी वाहन का बीमा केवल कृषि उपयोग के लिए केवल ट्रैक्टर का बीमा किया गया है। सवारी के संबंध में किसी प्रकार की कोई प्रीमियम राशि वसूल नहीं की गई है। चूंकि बीमा कंपनी पर दायित्व डालने हेतु कहानी में परिवर्तन किये जाने से उसकी विश्वसनीयता प्रश्नवाचक है। अतः बीमा कंपनी का प्रतिकर का कोई दायित्व नहीं बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था व दुर्घटना स्वयं आहतगण की लापरवाही से हुई है। आहतगण की आय व पेशे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए–

1– 2011(1) ACTC (Raj.) 408 Ramdev & Ors. Vs Jeevan Singh & Anr.

2– 2022(2) ACTC (Raj.) 771 New India Assurance Co. Ltd. Vs Harji & Ors.

3–2017(1) ACTC (Raj.) 133 Manga Singh Vs Ajmer Singh

4– 2024 ACTC (Raj.) 845 United India Insurance Co. Ltd Vs Jayantilal & Ors.

15. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय का विवाद्यकवार निर्णय निम्नानुसार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1 व 3–</u>

16. यह दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन विवाद्यकों के संबंध में प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के अनुसार ए0ड.1 प्रार्थी केशन्ती ने मुख्य परीक्षा में शपथपत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि वह व उसका पति व पुत्र सभी यज्ञ देखने ग्राम बूचोलाई पैदल पैदल जा रहे थे। बालाजी मोड पहुंचे तो पीछे से एक ट्रैक्टर बहुत तेजी से आ रहा था, जिसके चालक ने वाहन को तेजी से मुडाया जिससे ट्रोली पलट गई। ट्रोली के नीचे वह,उसका बच्चा दब गये। जहां से उन्हें गंगापुर अस्पताल लेकर आये, वहां से जयपुर एसएमएस अस्पताल में रैफर कर दिया। जहाँ हम 10 दिन भर्ती रहे। उसके बाये हाथ की हड्डी टूट गई जिसमें रॉड डली तथा 5 पसलियों टूट गई। उसके लड़के संजय का ऑपरेशन हुआ तथा बाद में ऑपरेशन से सही नहीं होने पर पैर काटना पडा। उसके हाथों में बहुत दर्द होता है, जिससे काम नहीं होता है। खेती बाडी, घर गृहस्थी, दूध निकालने आदि का कार्य नहीं हो पाता है। वह हमेशा के लिये

विकलांग हो गई है। उसके अपने क्लेम के समर्थन में एफआईआर प्रदर्श 1. चार्जशीट प्रदर्श 2, नक्शा मौका प्रदर्श 3, मैकेनिक मुआयना प्रदर्श 4, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श 5, ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 6, रजिस्ट्रेशन प्रदर्श 7, बीमा प्रदर्श 8, डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श 9, एमएलआर प्रदर्श 10, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 11. दवाईयों के बिल प्रदर्श 12 लगायत 29 एवं डिसअबिलिटी सर्टीफिकेट प्रदर्श 30,स्थाई योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 31 पेश किये है। मुताबिक क्लेम याचिका क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

17. ए.ड.2 संजय उर्फ संदीप ने मुख्य परीक्षा में शपथपत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए साक्ष्य में कथन किये हैं कि वह दिनांक 14.6.2016 को ग्राम बूचौलाई में चल रहे यज्ञ में दर्शन करने जा रहा था, दिन के करीब 11.00 बजे टॉवर के सामने वाले रोड़ पर गूलर वाली तलाई के पास, बालाजी के स्थान के पास, हार गांव बूचौलाई में जब पैदल पैदल जा रहे थे, इतने में ही एक ट्रेक्टर संख्या आर. जे. 25 आर.बी. 2965, जिसमें पीछे ट्रोली लगी हुई थी, को उसका चालक विपक्षी संख्या 1 तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ ला रहा था, मोड़ पर जैसे ही ट्रेक्टर चालक ने तेजी से ट्रेक्टर को मोड़ा, वैसे ही ट्रेक्टर मय ट्रोली पलट गया जिसमें वह व उसकी मां श्रीमती केशन्ती दब गये। उसे व उसकी मां को निकाल कर अस्पताल लाये। वह एस.एम.एस. होस्पीटल जयपुर में दिनांक 14.06.2016 से 23.06.2016 तक भर्ती रहा एवं उसे पैर की हालत नाजुक होने के कारण दिनांक 21.06.2016 को उसके पैर का ऑपरेशन कर बांये पैर को घुटने के उपर से काटकर अलग कर दिया व अभी भी उसके पैर में दर्द रहता है, उसके उठने बैठने में तकलीफ होती है एवं दैनिक कार्य भी बिना माता की सहायता के नहीं कर पाता है एवं वह अपने अध्ययन से भी वंचित हो गया है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में दूसरे लोगों ने दर्ज करवाई, जिस पर उसने याचिका के समर्थन में प्रदर्श 32 डिस्चार्ज टिकिट, प्रदर्श 33 लगायत 46 दवाईयों के बिल व पर्चीया, प्रदर्श 47 एमएलआर, प्रदर्श 48 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 49 व 50 स्थाई अयोग्यता प्रमाण–पत्र पेश किए है। घटना से संबंधित एफआईआर, आरोप–पत्र, नक्शा मौका, मैकेनिकल मुआयना, नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट, चालक चिरंजी का अनुज्ञापत्र, आर.सी. टैक्टर, बीमा पॉलिसी प्रदर्श 01 लगायत 08 मूल पत्रावली में पेश किए है। मुताबिक याचिका क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

18. ए.ड.3 बसंता ने मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा पेश शपथ पत्र में वर्णित कथन की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किये हैं कि वह दिनांक 14.6.2016 को अपने बच्चों के साथ ग्राम बूचौलाई में चल रहे यज्ञ में दर्शन करने जा रहा था, दिन के करीब 11.00 बजे टॉवर के सामने वाले रोड़ पर गूलर वाली तलाई के पास, बालाजी के स्थान के पास, हार गांव बूचौलाई में जब पैदल पैदल जा रहे थे, इतने में ही एक ट्रेक्टर संख्या आर. जे. 25 आर.बी. 2965, जिसमें पीछे ट्रोली लगी हुई थी, को उसका चालक विपक्षी संख्या 1 तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ ला रहा था, मोड़ पर जैसे ही ट्रेक्टर चालक ने तेजी से ट्रेक्टर को मोड़ा, वैसे ही ट्रेक्टर मय ट्रोली पलट गया, जिसके कारण काफी लोग दब गये, जिनमें वह भी शामिल था, आसपास के लोगों ने तुरन्त ट्रेक्टर, ट्रोली को सीधा कर दबे हुए लोगों को उनके नीचे से निकाला एवं तुरन्त राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर सिटी लेकर गये, जहां उसे

दिनांक 14/06/2016 से दिनांक 16/06/2016 तक भर्ती रहा, तत्पश्चात् चिकित्सको द्वारा उसको पूरी तरह बेड रेस्ट व लगातार दवाईयां लेने व पट्टी आदि कराने की राय देकर डिस्चार्ज कर दिया। इलाज के दौरान मेरी पसलियो पर पट्टा लगाया गया, जो अभी तक लगा हुआ है, अभी भी मेरे बदन में दर्द रहता है, चपके चलते हैं, मै अपने दैनिक कार्य भी बिना परिजनों की सहायता के नहीं कर पाता है, वह कृषि कार्य व मजदूरी का कार्य करता था, जिन सभी कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है, विकलांगता के कारण उसका जीवन अंधकारमय हो गया है, जीवनभर दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, वह कमाने योग्य नहीं रह गया है, उसने न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थाने में एफ. आई. आर. संख्या 115/2016 दर्ज हुई। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी द्वारा जांच की जाकर ट्रेक्टर चालक विपक्षी संख्या । को दुर्घटना के लिए दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 2 गंगापुर सिटी में आई.पी.सी. की धारा 279, 337,338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया है। डिस्चार्ज सर्टीफिकेट प्रदर्श 50, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 51, एमएलआर रिपोर्ट प्रदर्श 52, प्रमाण पत्र प्रदर्श 53 है। उसे क्लेम के अनुसार राशि दिलाई जावे।

19. गवाह ए.ड.4 मुकेशी ने मुख्य परीक्षा में शपथपत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.6.2016 को अपने पति व बच्चों के साथ ग्राम बूचौलाई में चल रहे यज्ञ में दर्शन करने जा रही थी, दिन के करीब 11.00 बजे टॉवर के सामने वाले रोड़ पर गूलर वाली तलाई के पास, बालाजी के स्थान के पास, हार गांव बूचौलाई में जब पैदल पैदल जा रहे थे, इतने में ही एक ट्रेक्टर संख्या आर. जे. 25 आर.बी. 2965, जिसमें पीछे ट्रोली लगी हुई थी, को उसका चालक विपक्षी संख्या 1 तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ ला रहा था, मोड़ पर जैसे ही ट्रेक्टर चालक ने तेजी से ट्रेक्टर को मोड़ा, वैसे ही ट्रेक्टर मय ट्रोली पलट गया, जिसके कारण काफी लोग दब गये, जिनमें वह भी शामिल थी, आसपास के लोगों ने तुरन्त ट्रेक्टर, ट्रोली को सीधा कर दबे हुए लोगों को उनके नीचे से निकाला एवं तुरन्त राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर सिटी लेकर गये, जहां उसे दिनांक 14/06/2016 से दिनांक 16/06/2016 तक भर्ती रही जहां उसके पैरों में ऑपरेश कर कई जगह प्लेट्स डाली गई, तत्पश्चात् चिकित्सकों द्वारा उसको पूरी तरह बैड रेस्ट व लगातार दवाईया लेने व पट्टे आदि कराने की राय देकर डिस्चार्ज कर दी गयी। इलाज के दौरान उसकी हड्डियों पर पट्टे लगाये गये, वर्तामन में वह बैशाखियों के सहारे ही चल पाती है, अभी भी उसके बदन में दर्द रहता है, चपके चलते हैं, वह अपने दैनिक कार्य भी बिना परिजनों की सहायता के नहीं कर पाती है, वह कृषि कार्य व दूध बेचने का कार्य करती थी, जिन सभी कार्यों को करने में असमर्थ हो गयी है, विकलांगता के कारण उसका जीवन अंधकारमय हो गया है, जीवनभर दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, वह कमाने योग्य नहीं रह गया है, उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में दूसरे लोगों ने दर्ज करवाई, जिस पर एफ. आई. आर. संख्या 115/2016 दर्ज हुई। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी द्वारा जांच की जाकर ट्रेक्टर चालक विपक्षी संख्या । को दुर्घटना के लिए दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 2 गंगापुर सिटी में

आई.पी.सी. की धारा 279, 337,338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया है। उसने अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में एमएलआर प्रदर्श–54, डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–55, बाह्य रोगी उपचार पत्र प्रदर्श–56, परिजन प्रवेश पत्र प्रदर्श–57, अंतःरोगी उपचार पत्र प्रदर्श–58 लगायत 61. मेडिकल बिल प्रदर्श–62, जॉच रिपोर्ट प्रदर्श–63, एसएमएस अस्पताल की पर्ची प्रदर्श–64 लगायत 76, मेडिकल बिल 77, स्थाई विकलांग प्रमाण पत्र प्रदर्श–78 पेश किये है।

20. गवाह ए.ड.5 इन्दर राज ने मुख्य परीक्षा में शपथपत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृर्ति करते हुए कथन किया है कि वह दिनांक 14.6.2016 को अपने परिवार के साथ ग्राम बूचौलाई में चल रहे यज्ञ में दर्शन करने जा रहा था, दिन के करीब 11.00 बजे टॉवर के सामने वाले रोड़ पर गूलर वाली तलाई के पास, बालाजी के स्थान के पास, हार गांव बूचौलाई में जब पैदल पैदल जा रहे थे, इतने में ही एक ट्रेक्टर संख्या आर. जे. 25 आर.बी. 2965, जिसमें पीछे ट्रोली लगी हुई थी, को उसका चालक विपक्षी संख्या । तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ ला रहा था, मोड़ पर जैसे ही ट्रेक्टर चालक ने तेजी से ट्रेक्टर को मोड़ा, वैसे ही ट्रेक्टर मय ट्रोली पलट गया, जिसके कारण काफी लोग दब गये, जिनमें वह भी शामिल था, आसपास के लोगों ने तुरन्त ट्रेक्टर, ट्रोली को सीधा कर दबे हुए लोगों को उनके नीचे से निकाला एवं तुरन्त राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर सिटी लेकर गये, जहां उसे हालत ज्यादा खराब होने पर तुरंत जयपुर के लिए रफैर कर दिया, वह दिनांक 14.06.2016 को ही एस एम एस में आपातकालीन इकाई में भर्ती हुया जहां से उसे डा. प्रदीप गोयल की यूनिट में भर्ती कराया, दिनांक 14/06/2016 से दिनांक 16/06/2016 तक एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती रहा, उसके दाहिनी ओर की पसलियां भंग हो जाने और शरीर के अन्य हिस्सों में घातक चोटों के कारण उसे चिकित्सालय में भर्ती रखकर उसका इलाज किया गया। परंतु अभी भी मेरे बदन में दर्द रहता है, चपके चलते हैं, मै अपने दैनिक कार्य भी बिना परिजनों की सहायता के नहीं कर पाता है, बांया हाथ काम नहीं करता है। गहरी चोट के कारण उठने बैठने में भी तकलीफ होती है। विकलांगता के कारण उसका जीवन अंधकारमय हो गया है, उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में दूसरे लोगों ने दर्ज करवाई, जिस पर एफ. आई. आर. संख्या 115/2016 दर्ज हुई। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी द्वारा जांच की जाकर ट्रेक्टर चालक विपक्षी संख्या । को दुर्घटना के लिए दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 2 गंगापुर सिटी में आई.पी.सी. की धारा 279, 337,338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया है। उसने अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में एमएलआर प्रदर्श–79,एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 80, एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–81 लगायत 84 पेश किये है।

21. प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से गवाह एन.ए.ड.1 प्रदीप को पेश कर परीक्षित कराया गया। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कम्पनी में लीगल अधिकारी के पद पर कार्यरत है। राजेश कुमार का टैक्टर नम्बर आरजे 25 आरवी 2965 को हमारी कम्पनी द्वारा दिनांक

25.01.2016 से 24.01.2017 तक की अवधि के लिए पॉलिसी की शर्त के अनुसार बीमा किया गया है। उक्त पॉलिसी प्रदर्श एनए 10 है। उक्त पॉलिसी के अन्तर्गत केवल टैक्टर का बीमा किया गया है ओर ट्रोली को कोई बीमा नही किया गया है। टैक्टर में केवल चालक के संबंध में रिस्क कवर की गई है। टैक्टर या ट्रोली मे बैठी ससुल्क या निशुल्क सवारी के संबंध मे कोई प्रीमियम नहीं लिया गया है ओर ना ही कोई रिसकेंवर किया है। उक्त प्रकरण में हमारे वाहन को एक माह चार दिन बाद गलत रूप से दुर्घटना में लिप्त करते एफआईआर दर्ज कराई गई है। टैक्टर व ट्रोली सवारी बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अधिकृत नही हे। प्रकरण में आइयो द्वारा सभी आहतो के बायन लिये थे जिसके अनुसार सभी आहत टैक्टर के ट्रोली में बैठकर यज्ञ देखने जा रहे थे और टैक्टर चालक द्वारा टैक्टर को लापरवाही से चला कर बूचालाई रोड पर तलाई के पास घुमाव पर ट्रोली को पलट दिया जिससे ट्रोली में बैठी हुई सभी सवारी ट्रोली के नीचे दब गई जिससे उनके चोटे आई। सवारियो के बयान 161 सीआरपीसी संतरा उर्फ केशन्ती एनए 01. गवाह संजय एनए 02, गवाह मुकेशी एनए 03. गवाह इन्दर एनए 04. गवाह शोभा एनए 05, गवाह सरदार एनए 06, गवाह आशाराम एनए 07. गवाह बहादुर एनए 08, गवाह मुनेश एनए 09, है तथा आइयो के फौजदारी केस में हुए बयान एनए 11 है। उक्त सभी बयानों से स्पष्ट है कि उक्त सभी आवेदक गण टैक्टर व ट्रोली में बैठकर यात्रा कर रहे थे। आइयो द्वारा उक्त 161 सीआरपीसी बयानो के आधार पर चालान पेश किया जो प्रदर्श 02 है। प्रदर्श एनए 11 मे ए से वी स्थान पर सभी गवाहानके बयान गवाहो के कहेनुसार लेखबद्ध किये गये है। सभी आवेदकगण टैक्टर ट्रोली में बैठकर यात्रा करने के कारण बीमा कम्पनी प्रतिकार राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है क्योकि बीमा कम्पनी द्वारा सवारियों के संबंध में कोई प्रीमियम वसूल नही किया गया है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में उक्त घटना के संबंध में बसंता गुर्जर पुत्र हजारी उम्र 45 साल निवासी कुनकटा खुर्द के इस्तगासा पर पुलिस थाना सदर गंगापुरसिटी में एफआइआर नंबर 155/2016 पंजीबद्ध की गई है। दौराने अनुसंधान प्रश्नगत वाहन के अप्रार्थी वाहन स्वामी को दिये गये नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्र.5 के प्रत्युत्तर में अप्रार्थी सं.2 ने वक्त घटना वाहन पर अप्रार्थी सं.1 चिरंजीलाल का चालक होना अंकित किया है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श 3 में एक्स स्थान पर घटनास्थल दर्शाया हुआ है। दुर्घटना में लिप्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श 4 बनायी गई है। बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रदर्श 2 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्र 07 प्रस्तुत किया है व बीमा पॉलिसी प्र.8 के अनुसार अप्रार्थी सं.3 बीमा कंपनी के यहां बीमित होने के संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर है, अप्रार्थी सं.1 के चालक अनुज्ञा–पत्र को प्र.6 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। आहतगण के गंभीर चोटें कारित होने के संबंध में आहतगण के चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट आहतगण की ओर से प्रस्तुत हुए हैं। उक्त दुर्घटना के समय दुर्घटना में लिप्त वाहन संख्या आरजे 25 आरबी 2965 को उसके चालक अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2 के नियोजन में होकर एवं उसके लाभार्थ चलाया जाना भी साक्ष्य से

प्रमाणित है। प्रार्थीगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में ए.ड.1 लगायत ए.ड.5 केशन्ती, संजय उर्फ संदीप, बसंता, मुकेशी, इन्द्रराज के रूप में स्वयं सशपथ कथन किये गये हैं। जिनमें उक्त आहतगण ने घटना के चश्मदीद साक्षी के रूप में परीक्षित होकर दुर्घटना में स्वयं के गंभीर चोटें कारित होना कथित किया है।

23. जहां तक विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से उठाया गया तर्क कि प्रकरण में एक माह चार दिन की देरी से एफआईआर दर्ज करायी गयी है तथा सभी आहतगण के द्वारा ट्रोली में बैठकर यात्रा की जा रही थी, जिसे कि बाद में पैदल जाना कथित करते हुए मिथ्या दुर्घटना का रूप दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 14.06.2016 की है तथा दुर्घटना उक्त दिनांक होने के संबंध में प्रदर्श 1 एफआईआर में गंभीर आहतगण को जयपुर रैफर किया जाना कथित किया है व साथ ही मौके पर पुलिस थाना गंगापुरसिटी के जाप्ते के पहुंचने पर भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करना कथित करते हुए इस्तगासा अंतर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत न्यायालय भिजवाया जाना कथित किया है, आहतगण की ओर से प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेज एसएमएस अस्पताल जयपुर के डिस्चार्ज टिकट क्रमशः प्रदर्श 9 केशन्ती उर्फ संतरा तथा प्रदर्श 55 मुकेशी में R T A on 14.06.2016 का अंकन किया गया है। आहत इन्दरराज के डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 81 में Date of Addmission 14.06.2016 का अंकन है। अर्थात् दुर्घटना दिनांक 14.06.2016 को कारित होना प्रकट है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी बीमा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से तर्क मिथ्या दुर्घटना का नहीं उठाते हुए आहतगण के ट्रेक्टर ट्रोली में सवार होकर दुर्घटना कारित होने का उठाया गया है। उक्त के संबंध में सर्वप्रथम एफआईआर प्रदर्श 1 का अवलोकन किया जाये तो एफआईआर कर्ता ने आहतगण का यज्ञ देखने जाना तथा उनके उपर ट्रेक्टर ट्रोली का पलट जाना कथित किया है। उक्त चाक एफआईआर प्रदर्श 1 में ट्रोली में बैठकर जाना अंकित नहीं है। न्यायालय में परीक्षित गवाहान ए.ड.1 केशन्ती ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं व अन्य आहतगण का पैदल जाना तथा पीछे से ट्रेक्टर के आने पर ट्रोली का पलट जाना कथित किया है। उक्त गवाह ने विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा जिरह किये जाने पर इस सुझाव को गलत बताया है कि वे सब राजेश के ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर जा रहे हों व साथ ही ट्रेक्टर ट्रोली में कोई नहीं बैठा होना कथित किया है। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्श एनए 1 स्वयं के द्वारा नहीं दिया जाना कथित किया है। इसके साथ ही अन्य आहत ए.ड.2 संदीप के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में गवाह ए.ड.1 केशन्ती के कथनों को ही दोहराया है तथा प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया है कि वे यज्ञ देखने के लिए व गांव से ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर जा रहे हों, व साथ ही यह भी कथन किया है कि ट्रेक्टर ट्रोली उनके उपर आकर पलटी थी। गवाह ने अपने पुलिस बयान एनए 02 उसके द्वारा नहीं दिया जाना कथित किया है। गवाह ए.ड.3 बसन्ता जो कि एफआईआर कर्ता है,तथा गवाह ए.ड.4 मुकेशी व ए.ड.5 इन्दरराज ने भी उपरोक्त गवाहान के कथनों को अपने मुख्य परीक्षण में दोहराया है। गवाह ए.ड.4 मुकेशी के द्वारा अपने पुलिस बयान एनए 3 में सभी का ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर जाना नहीं लिखाया जाना कथित किया है, साथ ही पुलिस द्वारा कैसे लिख देना कथित किया है, यह कथन किये हैं। अन्य किसी गवाहान से उसके

पुलिस बयानों के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत गवाह एनए.ड.1 प्रदीप कुमार के द्वारा सभी आहतगण का ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर यज्ञ देखने जाना कथित किया है तथा इस संबंध में संतरा उर्फ केशन्ती के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श एन.ए.1, गवाह संजय प्रदर्श एन.ए.2, गवाह मुकेशी प्रदर्श एन.ए.3, गवाह इन्दर प्रदर्श एनए 4, गवाह शोभा एनए 5, गवाह सरदार एन.ए.6, गवाह आशाराम प्रदर्श एनए 07, गवाह बहादुर एनए 08 तथा गवाह मुनेश प्रदर्श एनए 09 पेश कर प्रदर्शित कराये हैं, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि गवाहान ए.ड.1 केशन्ती, ए.ड.2 संदीप, ए.ड.3 बसन्ता, ए.ड.4 मुकेशी ने अपने पुलिस बयान के संबंध में इन्कार किया है, अन्य किसी गवाहान से उसके पुलिस बयानों के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है तथा गवाह सरदार, आशाराम, मुनेश, बहादुर अधिकरण में परीक्षित नहीं हुए हैं,ऐसे में उनके धारा 161 सी.आर.पी.सी. के कथनों से कोई सहायता बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होती है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपने उपरोक्त उठाये गये तर्क के समर्थन में अप्रार्थी बीमा कंपनी के द्वारा कोई आहतगण या अन्य किसी चश्मदीद गवाहान के विचारण न्यायालय में हुए कथनों को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है, ऐसे में अधिकरण में परीक्षित गवाहान के कथनों का खण्डन नहीं हो पाया है।

24. अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण के अनुसंधानाधिकारी के न्यायालय में हुए कथन प्रदर्श एनए 11 का संबंध है,उक्त में ऐसी कोई साक्ष्य गवाह के द्वारा न्यायालय में नहीं दी गई कि प्रकरण के आहतगण ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर यात्रा कर रहे हों, ऐसे में उक्त दस्तावेज से भी अप्रार्थी बीमा कंपनी के तर्क को सहायता प्रदान नहीं होती है, चूंकि अप्रार्थी बीमा कंपनी प्रार्थीगण की साक्ष्य के खण्डन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है कि जिससे कि यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण के द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर यात्रा की जा रही हो। अतः अप्रार्थी बीमा कंपनी का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

25. अतः उक्त समस्त तथ्यों व प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब मे ली गई आपत्तियां उचित नहीं पायी जाती हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना अनुसार विवेचनाअनुसार विवाद्यक सं.1 प्रार्थी के पक्ष में जबकि विवाद्यक सं. 3 विपक्षी सं.3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

विवाद्यक संख्या–2

26. यह विवाद्यक प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के बाबत विरचित है, जिसे सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है, जिसके संबंध में न्यायालय की विवेचना निम्न प्रकार है–

<u>एमएसी प्र.सं. 106/2016 केशन्ती/चिरंजी व अन्य–</u>

27. यह विवाद्यक प्रार्थी–आहत को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में है। इस संबंध में प्रार्थी ए.ड.1 केशन्ती ने अपनी क्लेम याचिका में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व उसकी माहवार आय 15,000/–रूपये थी, परंतु गवाह के द्वारा आय का अपना कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को दुर्घटना के समय एक अकुशल

कर्मकार माना जाना उचित है एवं दुर्घटना के समय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को अकुशल कर्मकार मानते हुए उसकी मासिक आय 6030 रूपए निर्धारित किया जाना उचित है। क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु हमें प्रार्थी की आयु, आय व गुणांक पर विचार करना होगा। जहां तक प्रार्थी की आयु का प्रश्न है। प्रार्थी की आयु क्लेम के अनुसार 40 वर्ष बताई गई है, आहत के आयु से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आहत के द्वारा पूर्व में निशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 30 प्रस्तुत किया गया था, जिस बाबत् अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निस्तारण न्यायालय को बरवक्त निर्णय किया जाना बयानों में अंकित किया गया था व गहवा के बयान डैफर किये गये थे, तत्पश्चात् प्रार्थीया की ओर से मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में निशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 31 भी प्रस्तुत कर दिया गया। अतः उक्त निशक्ता प्रमाणपत्र के संबंध में विवेचन किया जा रहा है। निःशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 31 में आहता की आयु 46 वर्ष बतायी गयी है, जो कि वर्ष 2022 में दुर्घटना के 6 वर्ष पश्चात् बनवाया गया है। अतः याचिका में भी आहता की आयु 40 प्रार्थी की ओर से शरीर पर आयी स्थायी निःशक्ता के अशक्तता प्रमाणपत्र प्रदर्श 31 प्रस्तुत किया गया है।

28. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 10 के अनुसार उसके शरीर पर दुर्घटना में कुल 2 चोटें कारित होना बताया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 11 में प्रार्थी के दो फ्रेक्चर होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के एक साधारण चोट तथा दो गंभीर प्रकृति की चोट हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थायी निःशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 31 के अनुसार घटना में आयी चोटों से प्रार्थी को 22 प्रतिशत स्थायी निःशक्ता कारित होना बताया गया है।

29. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के आयी चोटों के संबंध में शारीरिक व मानसिक पीडा के लिए 15,000/—रूपये, प्रार्थी के दुर्घटना के पश्चात् इलाजरत रहने तथा प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 10 तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 11 में दर्शित एक साधारण चोट के लिए 2,500/—रूपये तथा दो गंभीर चोट के लिए 10,000/—रूपये कुल 12,500/—रूपये दिलाया जाना उचित है। प्रार्थीया की ओर से अपने चिकित्सकीय बिल प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से प्रार्थीया की ओर से बिल प्रदर्श 22 प्रस्तुत किया गया है, परंतु उक्त बिल किससे संबंधित है, यह प्रार्थीया की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है तथा बिल में दर्शित राशि जमा किये जाने का इन्द्राज है, जो कि बिल में अंकित इन्सट्रूमेंट वापिस लौटाये जाने पर राशि पुनः प्राप्त किये जाने को प्रकट करता है, अतः उक्त बिल की राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत मेडीकल बिलों की राशि 7,459/—रूपये प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित है। तथा प्रार्थी का ईलाज हेतु परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थी 3,000/—रूपये की राशि एक मुश्त प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीया प्रदर्श 9 डिस्चार्ज टिकट एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर के मुताबिक दिनांक 14.06.2016 को भर्ती होना तथा 18.06.2016 को डिस्चार्ज होना प्रकट है, अतः अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए 600 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 2400 रूपये

तथा अटेंडेंट के 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 1200 रूपये तथा दुर्घटना में प्रार्थीया द्वारा विशेष खाना खुराक के मद में 5000/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की ओर से शरीर पर आयी स्थायी निःशक्ता के अशक्तता प्रमाणपत्र प्रदर्श 31 प्रस्तुत किया गया है, प्रदर्श 31 में 22 प्रतिशत निःशक्ता किन आधारों पर दी गयी है। यह स्पष्ट करने के लिए मेडीकल बोर्ड के किसी सदस्य को परीक्षित नहीं कराया गया है। वक्त दुर्घटना आहत की उम्र 40 साल मानी है, लिहाजा आहत के दुर्घटना में आयी गंभीर चोट के कारण शारीरिक स्थायी अक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए इस मद में 2,38,788/–रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

30. इस प्रकार प्रार्थी कुल **15,000 + 12,500 + 7459 + 3,000 + 3600 + 5000 + 2,38,788 = 2,85,347/– रूपये (अक्षरे दो लाख पिचासी हजार तीन सौ सैंतालीस रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

31. इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यकों का निस्तारण कर प्रार्थी की ओर से पेश की गई क्लेम याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्तः व पृथकतः **2,85,347/– रूपये (अक्षरे दो लाख पिचासी हजार तीन सौ सैंतालीस रूपये)** की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा शेष राशि के लिए पेश याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः निम्नानुसार पंचाट पारित किया जाता है–

पंचाट

32. अतः मोटर दुर्घटना क्लेम प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि स्वरूप **2,85,347/– रूपये (अक्षरे दो लाख पिचासी हजार तीन सौ सैंतालीस रूपये)** अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

33. प्रार्थीया को राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते में व सावधि जमा खाते में निम्नानुसार वितरण किया जाता है–

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में राशि (रूपये में)	एफ.डी.आर. (रूपये में)	एफ.डी.आर की अवधि
1	केशन्ती	शेष राशि + संपूर्ण पंचाट राशि पर ब्याज	50,000/–रूपये 50,000/रूपये	एक साल दो साल

<u>एमएसी प्र.सं. 107/2016 संजय उर्फ संदीप/चिरंजी व अन्य–</u>

34. यह विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी–आहत को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में है। इस संबंध में प्रार्थी ए.ड.2 संजय उर्फ संदीप ने अपने साक्ष्य के शपथपत्र में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व प्रार्थी 9 वर्षीय बहुत हृष्ट पुष्ट पांचवी कक्षा का विद्यार्थी था, भविष्य में पढ लिखकर अच्छी या अच्छा व्यवसाय करता, अच्छी आमदनी के साथ बेहतर जिंदगी जीता। परंतु प्रार्थी चूंकि नौ वर्षीय बालक है तथा आहत की आयु क्लेम

याचिका में 9 वर्ष बतायी गयी है। आहत के आयु से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु आहत के निःशक्त्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 50 में आयु 10 वर्ष बतायी गयी है, अतः आहत की आयु 10 वर्ष माना जाना न्यायसंगत है।

35. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 47 के अनुसार उसके शरीर पर दुर्घटना में कुल 1 चोट कारित होना बताया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 48 में प्रार्थी के amputation from mid part of left femur होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के एक गंभीर प्रकृति की चोट हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थायी निःशक्त्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 50 के अनुसार घटना में आयी चोटों से प्रार्थी को 85 प्रतिशत स्थायी निःशक्त्ता कारित होना बताया गया है। आहत के निःशक्त्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 50 में लगी आहत के फोटो में आहत का पैर कटा होना दर्शित है तथा इसका कोई खण्डन दौराने साक्ष्य नहीं आया है। चूंकि आहत की उम्र 10 वर्ष होना निर्धारित किया गया है। अतः आहत की नोशनल आय 30,000 रूपये वार्षिक निर्धारित की जाकर गणना किया न्यायोचित है। अतः आहत के स्थायी निःशक्त्ता 85 प्रतिशत के मद्देनजर 3,82,500/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

36. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्गित रखते हुए प्रार्थी के आयी चोटों के संबंध में शारीरिक व मानसिक पीडा के लिए 15,000/–रूपये, चूंकि आहत का एक पैर कटा होना प्रकट हुआ है, अतः उक्त गंभीर प्रकृति की चोट के लिए 25,000/–रूपये, प्रार्थी के दुर्घटना के पश्चात् इलाजरत रहने तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत मेडीकल बिलों की राशि 20,479/–रूपये प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित है। तथा प्रार्थी का ईलाज हेतु परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थी 3,000/–रूपये की राशि एक मुश्त प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रदर्श 32 डिस्चार्ज टिकट एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर के मुताबिक दिनांक 14.06.2016 को भर्ती होना तथा 23.06.2016 को डिस्चार्ज होना प्रकट है, अतः अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए 600 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 5400 रूपये तथा अटेंडेंट के 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 2700 रूपये तथा दुर्घटना में प्रार्थी द्वारा विशेष खाना खुराक के मद में 10000/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है।

37. इस प्रकार प्रार्थी कुल **15,000 + 25,000 + 20479 + 3,000 + 8100 + 10000 + 3,82,500 = 4,64,079/– रूपये (अक्षरे चार लाख चौंसठ हजार उन्यासी रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

38. इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यकों का निस्तारण कर प्रार्थी की ओर से पेश की गई क्लेम याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्तः व पृथकतः**4,64,079/– रूपये (अक्षरे चार लाख चौंसठ हजार उन्यासी रूपये)** की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा शेष राशि के लिए पेश याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः निम्नानुसार पंचाट पारित किया जाता है–

पंचाट

39. अतः मोटर दुर्घटना क्लेम प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि स्वरूप **4,64,079/– रूपये (अक्षरे चार लाख चौंसठ हजार उन्यासी रूपये)** अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

40. प्रार्थीया को राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते में व सावधि जमा खाते में निम्नानुसार वितरण किया जाता है–

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में राशि (रूपये में)	एफ.डी.आर. (रूपये में)	एफ.डी.आर की अवधि
1	संजय उर्फ संदीप	–	4,64,079 + ब्याज की राशि	बालिग होने तक

<u>एमएसी प्र.सं. 124/2016 बसन्ता/चिरंजी व अन्य–</u>

41. यह विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी–आहत को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में है। इस संबंध में प्रार्थी ए.ड.3 बसन्ता ने अपने साक्ष्य के शपथपत्र में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व आहत की माहवार आय 15,000/–रूपये थी, परंतु आहत की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आहत की ओर से पेश नहीं की गयी है। आहत की आयु क्लेम याचिका में 50 वर्ष बतायी गयी है। आहत के आयु से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु आहत के निःशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 53 में आयु 50 वर्ष बतायी गयी है, अतः आहत की आयु 50 वर्ष माना जाना न्यायसंगत है।

42. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 52 के अनुसार उसके शरीर पर दुर्घटना में कुल एक चोट कारित होना बताया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 51 में प्रार्थी के पसलियों का फ्रेक्चर होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के पसलियों में गंभीर प्रकृति की चोट हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थायी निःशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 53 के अनुसार घटना में आयी चोटों से प्रार्थी को 9 प्रतिशत स्थायी निःशक्ता कारित होना बताया गया है।

43. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के आयी चोटों के संबंध में शारीरिक व मानसिक पीडा के लिए 15,000/–रूपये, प्रार्थी के दुर्घटना के पश्चात् इलाजरत रहने तथा प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 52 तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 51 में दर्शित एक गंभीर चोट के लिए 5,000/–रूपये दिलाया जाना उचित है। प्रार्थी की ओर से कोई भी चिकित्सकीय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा प्रार्थी का ईलाज हेतु परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थी 3,000/–रूपये की राशि एक मुश्त प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रदर्श 53 डिस्चार्ज टिकट राजकीय चिकित्सालय गंगापुरसिटी के मुताबिक दिनांक 14.06.2016 को भर्ती होना तथा 16.06.2016 को डिस्चार्ज होना प्रकट है, अतः अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए 600 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 1200 रूपये तथा अटेंडेंट के 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 600 रूपये तथा दुर्घटना में प्रार्थी द्वारा

विशेष खाना खुराक के मद में 3000/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की ओर से शरीर पर आयी स्थायी निःशक्त्ता के अशक्तता प्रमाणपत्र प्रदर्श 53 प्रस्तुत किया गया है, प्रदर्श 53 में 9 प्रतिशत निःशक्त्ता किन आधारों पर दी गयी है। यह स्पष्ट करने के लिए मेडीकल बोर्ड के किसी सदस्य को परीक्षित नहीं कराया गया है। आहत के दुर्घटना में आयी गंभीर चोट के कारण शारीरिक स्थायी अक्षमता कारित हुई हो, जिससे कि भविष्य की आय में क्षति हुई हो, नहीं माना जा सकता। प्रार्थी के दर्शायी गई अक्षमता नगण्य प्रकृति की है। अतः अक्षमता के मद में कोई राशि दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

44. इस प्रकार प्रार्थी कुल **15,000 + 5000 + 3,000 + 1800 + 3000 = 27,800/– रूपये (अक्षरे सत्ताईस हजार आठ सौ रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

45. इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यकों का निस्तारण कर प्रार्थी की ओर से पेश की गई क्लेम याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्तः व पृथकतः **27,800/– रूपये (अक्षरे सत्ताईस हजार आठ सौ रूपये)** की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा शेष राशि के लिए पेश याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः निम्नानुसार पंचाट पारित किया जाता है–

पंचाट

46. अतः मोटर दुर्घटना क्लेम प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि स्वरूप **27,800/– रूपये (अक्षरे सत्ताईस हजार आठ सौ रूपये)** अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

47. प्रार्थी को राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते में व सावधि जमा खाते में निम्नानुसार वितरण किया जाता है–

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में राशि (रूपये में)	एफ.डी.आर. (रूपये में)	एफ.डी.आर की अवधि
1	बसन्ता	27800 + संपूर्ण पंचाट राशि पर ब्याज	––	––

<u>एमएसी प्र.सं. 02/2017 मुकेशी/चिरंजी व अन्य–</u>

48. यह विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी–आहत को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में है। इस संबंध में प्रार्थी ए.ड.4 मुकेशी ने अपने साक्ष्य के शपथपत्र में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व आहत की माहवार आय 10,000/–रूपये थी, परंतु आहत की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आहत की ओर से पेश नहीं की गयी है। आहत की आयु क्लेम याचिका में 31 वर्ष बतायी गयी है। आहत के आयु से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु आहता के निःशक्त्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 78 में आयु 31 वर्ष बतायी गयी है, जो कि दुर्घटना के एक वर्ष पश्चात् बनाया जाना प्रकट है,

लेकिन चूंकि क्लेम याचिका में आहता की आयु 31 वर्ष बतायी है, अतः आहता मुकेशी की आयु 31 वर्ष माना जाना न्यायसंगत है।

49. यह विवाद्यक प्रार्थी–आहत को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में है। इस संबंध में प्रार्थी ए.ड.4 मुकेशी ने अपनी क्लेम याचिका में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व उसकी माहवार आय 10,000/–रूपये थी, परंतु गवाह के द्वारा आय का अपना कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को दुर्घटना के समय एक अकुशल कर्मकार माना जाना उचित है एवं दुर्घटना के समय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को अकुशल कर्मकार मानते हुए उसकी मासिक आय 6030 रूपए निर्धारित किया जाना उचित है। क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु हमें प्रार्थी की आयु, आय व गुणांक पर विचार करना होगा।

50. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 54 के अनुसार उसके शरीर पर दुर्घटना में कुल एक चोट कारित होना बताया गया है । मुकेशी की एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है, परंतु इसे सहवन से प्रदर्शित नहीं कराया जाना प्रतीत होता है। न्यायहित में उक्त एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें में आहता के बांये पैर में फ्रेक्चर होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीया के एक गंभीर प्रकृति की चोट है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थायी निःशक्त्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 78 के अनुसार घटना में आयी चोटों से प्रार्थी को 13.5 प्रतिशत स्थायी निःशक्त्ता बतायी गयी है।

51. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के आयी चोटों के संबंध में शारीरिक व मानसिक पीडा के लिए 15,000/–रूपये, प्रार्थी के दुर्घटना के पश्चात् इलाजरत रहने तथा प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 54 में दर्शित एक गंभीर चोट के लिए 5,000/–रूपये दिलाया जाना उचित है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत मेडीकल बिल की राशि 8135/–रूपये प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित है तथा प्रार्थी का ईलाज हेतु परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थी 3,000/–रूपये की राशि एक मुश्त प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीया प्रदर्श 55 डिस्चार्ज टिकट एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर के मुताबिक दिनांक 14.06.2016 को भर्ती होना तथा 16.06.2016 को डिस्चार्ज होना प्रकट है, अतः अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए 600 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 1200 रूपये तथा अटेंडेंट के 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 600 रूपये तथा दुर्घटना में प्रार्थीया द्वारा विशेष खाना खुराक के मद में 3000/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की ओर से शरीर पर आयी स्थायी निःशक्त्ता के अशक्तता प्रमाणपत्र प्रदर्श 78 प्रस्तुत किया गया है, प्रदर्श 78 में 13.5 प्रतिशत निःशक्त्ता किन आधारों पर दी गयी है। यह स्पष्ट करने के लिए मेडीकल बोर्ड के किसी सदस्य को परीक्षित नहीं कराया गया है। वक्त दुर्घटना आहत की उम्र 31 साल मानी है, लिहाजा आहत के दुर्घटना में आयी गंभीर चोट के कारण शारीरिक स्थायी अक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए इस मद में 1,62,086/–रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

52. इस प्रकार प्रार्थी कुल **15,000 + 5000 + 8135 + 3,000 + 1800 + 3000 + 1,62,086 = 1,98,021/– रूपये (अक्षरे एक लाख अठानवे हजार इक्कीस रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

53. इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यकों का निस्तारण कर प्रार्थी की ओर से पेश की गई क्लेम याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्तः व पृथकतः **1,98,021/– रूपये (अक्षरे एक लाख अठानवे हजार इक्कीस रूपये)** की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा शेष राशि के लिए पेश याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः निम्नानुसार पंचाट पारित किया जाता है–

पंचाट

54. अतः मोटर दुर्घटना क्लेम प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि स्वरूप **1,98,021/– रूपये (अक्षरे एक लाख अठानवे हजार इक्कीस रूपये)** अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

55. प्रार्थीया को राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते में व सावधि जमा खाते में निम्नानुसार वितरण किया जाता है–

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में राशि (रूपये में)	एफ.डी.आर. (रूपये में)	एफ.डी.आर की अवधि
1	मुकेशी	शेष राशि + संपूर्ण पंचाट राशि पर ब्याज	75,000/–रूपये	एक साल

<u>एमएसी प्र.सं. 20/2017 इन्दरराज/चिरंजी व अन्य–</u>

56. यह विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी–आहत को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में है। इस संबंध में प्रार्थी ए.ड.5 इन्दरराज ने अपने साक्ष्य के शपथपत्र में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व आहत की माहवार आय 20,000/–रूपये थी, परंतु आहत की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आहत की ओर से पेश नहीं की गयी है। आहत की आयु क्लेम याचिका में 30 वर्ष बतायी गयी है। आहत के आयु से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु आहत के एमएलआर प्रदर्श 79 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 80 में आयु 30 वर्ष बतायी गयी है, अतः आहत की आयु 30 वर्ष माना जाना न्यायसंगत है। क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु हमें प्रार्थी की आयु, आय व गुणांक पर विचार करना होगा।

57. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 79 के अनुसार उसके शरीर पर दुर्घटना में कुल एक चोट कारित होना बताया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 80 में प्रार्थी के एक फ्रेक्चर होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के एक गंभीर प्रकृति की चोट हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थायी निःशक्ता प्रमाणपत्र प्रदर्श 82

के अनुसार घटना में आयी चोटों से प्रार्थी को 8 प्रतिशत स्थायी निःशक्त्ता कारित होना बताया गया है।

58. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के आयी चोटों के संबंध में शारीरिक व मानसिक पीडा के लिए 15,000/–रूपये, प्रार्थी के दुर्घटना के पश्चात् इलाजरत रहने तथा प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 79 तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 80 में पसलियों में फ्रेक्चर दर्शित किया गया है अत्: गंभीर चोट के लिए 5,000/–रूपये दिलाया जाना उचित है। प्रार्थी की ओर से चिकित्सकीय बिल 1294/– रूपये के प्रस्तुत किये गये हैं तथा प्रार्थी का ईलाज हेतु परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थी 3,000/–रूपये की राशि एक मुश्त प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रदर्श 81 डिस्चार्ज टिकट एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर के मुताबिक दिनांक 14.06.2016 को भर्ती होना तथा 25.06.2016 को डिस्चार्ज होना प्रकट है, अतः अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए 600 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 6600 रूपये तथा अटेंडेंट के 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 3300 रूपये तथा दुर्घटना में प्रार्थीया द्वारा विशेष खाना खुराक के मद में 10000/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की ओर से शरीर पर आयी स्थायी निःशक्त्ता के अशक्तता प्रमाणपत्र प्रदर्श 82 प्रस्तुत किया गया है, प्रदर्श 82 में 8 प्रतिशत निःशक्त्ता किन आधारों पर दी गयी है। यह स्पष्ट करने के लिए मेडीकल बोर्ड के किसी सदस्य को परीक्षित नहीं कराया गया है। आहत के दुर्घटना में आयी गंभीर चोट के कारण शारीरिक स्थायी अक्षमता कारित हुई हो, जिससे कि भविष्य की आय में क्षति हुई हो, नहीं माना जा सकता। प्रार्थी के दर्शायी गई अक्षमता नगण्य प्रकृति की है। अतः अक्षमता के मद में कोई राशि दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

59. इस प्रकार प्रार्थी कुल **15,000 + 5000 + 1294 + 3,000 + 9900 + 10,000 = 44,194/– रूपये (अक्षरे चवालीस हजार एक सौ चौरानवे रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

60. इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यकों का निस्तारण कर प्रार्थी की ओर से पेश की गई क्लेम याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्तः व पृथकतः**44,194/– रूपये (अक्षरे चवालीस हजार एक सौ चौरानवे रूपये)** की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा शेष राशि के लिए पेश याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः निम्नानुसार पंचाट पारित किया जाता है–

पंचाट

61. अतः मोटर दुर्घटना क्लेम प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि स्वरूप **44,194/– रूपये (अक्षरे चवालीस हजार एक सौ चौरानवे रूपये)** अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

62. प्रार्थी को राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते में व सावधि जमा खाते में निम्नानुसार वितरण किया जाता है–

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में राशि (रूपये में)	एफ.डी.आर. (रूपये में)	एफ.डी.आर की अवधि
1	इन्दरराज	44,194 + संपूर्ण पंचाट राशि पर ब्याज	--	--

63. प्रार्थीगण द्वारा यदि अंतरिम पंचाट के रूप में राशि प्राप्त की गई हो तो वह राशि उपरोक्त राशि में से समायोजन योग्य होगी ।

64. प्रार्थीगण को उक्त पंचाट राशि पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से तावसूली 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

65. उक्त पंचाट राशि अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्ततः व पृथक पृथक रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन नंबर 534/2020 बजाज एलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित एस.बी. सिविल रिट नम्बर 6237/2017 बउनवान आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2018 के अनुसरण में उक्त क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा जरिये NEFT/RTGS इस अधिकरण के बैंक खाता संख्या **61066996475 IFSC Code SBIN0031075 बैंक – State Bank of India Gangapur city** में जमा करायी जावे। अप्रार्थी बीमा कंपनी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि क्षतिपूर्ति राशि **एक माह** में जमा कराये जाने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्देशित प्रारूप के अनुसार राशि जमा किएजाने की सूचना **15 दिवस** की अवधि में इस अधिकरण के समक्ष पेश करे।

66. उक्त राशि प्रार्थीगण के नाम से केवल "आदाता के खाते में" जरिये NEFT/RTGS से देय होगी।

67. प्रार्थीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते की पास बुक की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति/केन्सिल चैक अधिकरण में अविलम्ब पेश करें। संपूर्ण पंचाट राशि प्रार्थी के बैंक के बचत खाते में जमा करायी जावे।

(अखिलेश कल्याण)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण गंगापुर सिटी

68. निर्णय व पंचाट आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कल्याण)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण गंगापुर सिटी

KAUSHLESH TIWARI
AUTHENTICATED DOCUMENT
Digitally signed by KAUSHLESH TIWARI